राजस्थान सरकार

कार्मिक (क-2) विभाग

सं. एफ. 7(1)डीओपी/ए-II/2019 जयपुर, दिनांक: 09.09.2022

अधिसूचना

भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्थान के राज्यपाल विभिन्न सेवा नियमों को और संशोधित करने के लिए इसके द्वारा निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.- (1) इन नियमों का नाम राजस्थान विभिन्न सेवा ([illegible] संशोधन) नियम, 2022 है।

(2) ये तुरंत प्रभाव से प्रवृत्त होंगे।

2. संशोधन.- नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित सेवा नियमों में प्रत्येक के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित विद्यमान नियम के पश्चात् और स्तंभ संख्यांक 4 में यथोल्लिखित विद्यमान नियम से पूर्व, स्तंभ संख्यांक 5 में यथोल्लिखित निम्नलिखित नया नियम अंत:स्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' ऐसे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्यमान स्कीम के

अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, साथ ही उसका/उसकी पति/पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। आय में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय होगी।""

अनुसूची

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक	विद्यमान नियम का संख्यांक	नये नियम का संख्यांक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	7ख	8	7खख
2.	राजस्थान विश्राम भवन (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2019	9	10	9क

3. संशोधन.- राजस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021 के विद्यमान नियम 10 के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"10. आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण.- सीधी भर्ती में विद्यमान आरक्षण के अतिरिक्त आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए रिक्तियों का आरक्षण 10 प्रतिशत होगा। किसी वर्ष-विशेष में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों में से पात्र और उपयुक्त अभ्यर्थी के

उपलब्ध न होने की दशा में उनके लिए इस प्रकार आरक्षित रिक्तियां सामान्य प्रक्रिया के अनुसार भरी जायेंगी।

स्पष्टीकरणः इस नियम के प्रयोजन के लिए, 'आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग' ऐसे व्यक्ति होंगे जो राजस्थान के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की विद्‌यमान स्कीम के अन्तर्गत नहीं आते हैं और जिनके कुटुम्ब की कुल वार्षिक आय 8.00 लाख रुपये से कम है। इस प्रयोजन के लिए 'कुटुम्ब' में, वह व्यक्ति, जो आरक्षण का फायदा चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु की बहिन/भाई, साथ ही उसका/उसकी पति/पत्नी तथा 18 वर्ष से कम आयु की सन्तानें भी सम्मिलित होंगी। आय में समस्त स्रोतों अर्थात् वेतन, कृषि, कारबार, वृत्ति आदि से आय सम्मिलित होगी और यह आवेदन के वर्ष से पूर्व के वित्तीय वर्ष की आय होगी।""

4. संशोधन.- नीचे दी गयी अनुसूची के स्तंभ संख्यांक 2 में यथोल्लिखित सेवा नियमों में प्रत्येक के सामने स्तंभ संख्यांक 3 में यथोल्लिखित नियम के विद्‌यमान परन्तुक (i) के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्:-

"(i) उपरिवर्णित ऊपरी आयु सीमा को,-

(क) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पुरुष अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक;

(ख) सामान्य प्रवर्ग की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 5 वर्ष तक; और

(ग) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों, अति पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों की महिला अभ्यर्थियों के मामले में 10 वर्ष तक;

शिथिल किया जायेगा।"

क्र.सं.	सेवा नियमों का नाम	विद्यमान नियम का संख्यांक
1.	2.	3.
1.	राजस्थान पुस्तकालयाध्यक्ष और शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक सेवा (महाविद्यालय शाखा) नियम, 1980	7 च
2.	राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा नियम, 2021	17
3.	राजस्थान विज्ञान और प्रौद्योगिकी (राज्य एवं अधीनस्थ) सेवा नियम, 2021	16

राज्यपाल के आदेश और नाम से,

9/9/2022

(रामनिवास मेहता)
संयुक्त शासन सचिव

50/2022